बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.स. / 27 / 2019- 101

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक-- 29/01/2020

विषय – मुंगेर एवं जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 2, 14, एवं 43 वें कि०मी० पर (बरियारपुर–लक्ष्मीपुर खण्ड) RCC उच्चस्तरीय ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.206 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मुंगेर एवं जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 2, 14, एवं 43 वें कि०मी० पर (बरियारपुर–लक्ष्मीपुर खण्ड) RCC उच्चस्तरीय ब्रीज के निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.206 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय मुंगेर का प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उक्त पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथांश के 2, 14, एवं 43 वें कि०मी० पर उच्च स्तरीय माईनर RCC ब्रीज के निर्माण में 1.206 हे० वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं होना है। अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.4 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। साथ ही साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि भीम बाँध वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco Sensitive Zone (ESZ) में पड़ता है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं जमुई द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

10. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.206 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 2.412 हे० अर्थात् 2.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, मुंगेर के धरहारा प्रक्षेत्र अन्तर्गत बसोनी सुरक्षित वन को चिन्हित किया गया है। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समर्पित किया गया है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.206 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 9,68,418/– (रुपये नौ लाख अड़सठ हजार चार सौ अठारह) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 1.206 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये मुंगेर वन प्रमंडलन्तर्गत 2.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि बसोनी सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 5,38,866/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 101 दिनांक– 29/01/2020

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय मुंगेर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

O/C